छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

कार्यालय आदेश

क्रमांक 1485 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में ऑन लाईन ईमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। मॉनिटरिंग डाटा को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में ऑन लाईन उपलब्ध कराने संबंधी कार्य भी प्रगति पर है। ऑन लाईन ईमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उद्योगों के उत्सर्जन पर निगरानी रखने हेतु 24x7 कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जा रही है। ऑन लाईन ईमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जावे :-

1. सभी 17 प्रकार के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को प्लांट चालू करने एवं बंद करने की अग्रिम सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं मुख्यालय को अनिवार्य रूप से एस.एम.एस. / ई-मेल के माध्यम से देना होगा, जिससे प्लांट चालू करते / बंद करते समय होने वाले अधिक उत्जर्सन बाबत् मंडल को पूर्व से ही जानकारी रहे।

2. बिन्दु कमांक-01 में वर्णित स्थिति को छोड़कर स्पंज़ ऑयरन प्लांट से 30 मिनट, पॉवर प्लांट एवं अन्य उद्योगों से 45 मिनट से अधिक समय तक लगातार अथवा/ एवं 24 घंटे में कुल 1.5 घंटे से अधिक समय तक निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन पाये जाने पर उद्योग को सुधार की तत्काल कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।

3. स्पंज ऑयरन प्लांट से 30 मिनट, पॉवर प्लांट एवं अन्य उद्योगों से 45 मिनट से अधिक समय तक लगातार अथवा / एवं 24 घंटे में कुल 1.5 घंटे से अधिक समय तक निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन एक सप्ताह के भीतर दुबारा पाये जाने पर उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् 24 घंटे के भीतर सुधार की कार्यवाही करने हेतु नोटिस क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिया जावे।

4. उपरोक्त नोटिस देने के उपरांत 24 घंटे के भीतर सुधार की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन लगातार पाये जाने पर उद्योग द्वारा स्वतः उद्योग का संचालन बंद करने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा

इसकी पुष्टि करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह निर्देश जारी किया जावेगा कि सुधार की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुधार कार्य के सत्यापन के उपरांत ही क्षेत्रीय कार्यालय से आदेश प्राप्त कर पुनः उत्पादन प्रारंभ किया जावे।

5. उपरोक्त नोटिस देने के उपरांत 24 घंटे के भीतर सुधार की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन लगातार पाये जाने पर उद्योग द्वारा स्वतः उद्योग का संचालन बंद नहीं करने पर आसपास के पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने की संभावना के दृष्टिगत (Likelyhood of grave injury to the environment) उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत् संचालन प्रकिया बंद करने के साथ संबंधित विभागों को विद्युत विच्छेदन / वाटर सप्लाई बंद करने अथवा अन्य सुसंगत निर्देश क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिया जावे।

6. उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत् संचालन प्रकिया बंद करने के साथ संबंधित विभागों को विद्युत विच्छेदन / वाटर सप्लाई बंद करने अथवा अन्य सुसंगत निर्देश क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जारी करने पर उद्योग द्वारा सुधार की कार्यवाही पूर्ण करने की दशा में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के संदर्भ में सदस्य सचिव द्वारा प्रचलित व्यवस्था के तहत् एक टीम गठित कर आगामी कार्यवाही की जावे। लघु श्रेणी के उद्योगों के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लेकर कार्यवाही की जावे।

7. स्पंज ऑयरन प्लांट से 30 मिनट, पॉवर प्लांट एवं अन्य उद्योगों से 45 मिनट से अधिक समय तक लगातार अथवा / एवं 24 घंटे में कुल 1.5 घंटे से अधिक समय तक निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन किसी माह में तीसरी बार पाये जाने की स्थिति में आसपास के पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने की संभावना के दृष्टिगत (Likelyhood of grave injury to the environment) उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत् सीधे संचालन प्रकिया बंद करने के साथ संबंधित विभागों को विद्युत विच्छेदन / वाटर सप्लाई बंद करने अथवा अन्य सुसंगत निर्देश क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिया जावे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सुसंगत निर्देश जारी करने पर उद्योग द्वारा सुधार की कार्यवाही पूर्ण करने की दशा में बिन्दु कमांक–6 के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा। सभी क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित उद्योगों को उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों से अवगत करायेंगे।

6/6/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

o/c